मई,2017 के महत्वपूर्ण प्रयास .....

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष व्यवस्था लागू किए जाने के निर्णय का चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने तीव्र विरोध करते हुए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसे वापिस लिए जाने की माँग करते हुए कहा है कि जब तक केन्द्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष घोषित किए जाने का निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक प्रदेश में भी वर्तमान व्यवस्था यानि कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही लागू रखी जाए, ताकि प्रदेश के व्यवसाईयों को दो एकाउंट रखने से राहत मिल सके ।

* महाप्रबंधक एवं मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी को पत्र लिखकर, ग्वालियर शहर के मध्य में ''फूलबाग-किला गेट मार्ग'' पर नेरोगेज रेलवे क्रॉसिंग पर ऑटोमेटिक बेरियर लगाए जाने की माँग चेम्बर द्वारा की गई है क्योंकि उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात का दबाव अधिक होने से क्रॉसिंग पर लगे हुए पारंपरिक गेटों को खोलने व बंद करने में अत्याधिक समय लगता है और दिन में जब भी ट्रेन निकलती है, उसी समय गेट खुलने व बंद होने पर लगने वाले जाम से दुर्घटना होने की संभावनाएँ बनी रहती है ।

* म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. के विद्युत भुगतान केन्द्रों पर उपभोक्ताओं से बिल जमा करते समय ऐसे नोट जिन पर किसी आम नागरिक द्वारा अथवा बच्चों द्वारा भूलवश आंशिक रूप से कुछ लिख दिया गया है, स्वीकार नहीं किए जाने पर चेम्बर द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए महाप्रबंधक, शहर वृत्त, को पत्र प्रेषित कर, अवगत कराया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने आदेश इस प्रकार के नोट स्वीकार किए जाने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है । अतः म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. के सभी विद्युत भुगतान केन्द्रों पर ऐसे नोट जिन पर कुछ लिखा हुआ है अथवा रंग लगा हुआ है या जिन नोटों का रंग धुलने अथवा किसी अन्य कारण से फीका पड़ गया है । इस प्रकार के समस्त नोटों को स्वीकार किए जाने हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाने की माँग की गई है ।

* प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री गौरीशंकर बिसेन को पत्र लिखकर प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व गल्ला व्यवसाईयों द्वारा भण्डारण किए गए कृषि उपज के विक्रय हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किए जाने की समस्या से अवगत कराते हुए माँग की गई है कि इस समस्या के समाधान हेतु शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाए क्योंकि वर्तमान समय में कृषि उपज की काफी डिमाण्ड है और यदि ऐसे समय में कृषि उपज को विभाग की गलती के कारण विक्रय से रोका गया, तो व्यापारी को तो नुक्सान होगा ही । साथ ही, कृषि उपज की बाजार में कमी होने से इनकी कीमतों में असामान्य रूप से वृद्धि होने की संभावना भी हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा । अतः प्रदेश की आम जनता एवं प्रदेश के गल्ला व्यवसाईयों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पुराने स्टॉक किए गए माल के विक्रय हेतु शीघ्र अनुज्ञा-पत्र जारी किए जाएँ ।

* झाँसी मण्डल की डीआरयूसीसी की दि. 11/5/17 को आयोजित 170वीं बैठक में चर्चा हेतु सुझाव प्रेषित किए गए । इनमें प्रमुख रूप से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की समस्या पर आपत्तियाँ एवं सुझाव प्रेषित किए गए । साथ ही, फूलबाग रेलवे क्रासिंग पर ऑटोमेटिक गेट लगाए जाने, बिरला नगर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किए जाने, बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस एवं निजामुद्दीन-सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज ग्वालियर स्टेशन पर उपलब्ध कराए जाने, ग्वालियर में नवीन 24 कोच की पीट बनाए जाने, पड़ाव आरओबी का रेलवे के हिस्से का शेष कार्य पूर्ण किए जाने एवं चेम्बर को जेडआरयूसीसी में प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने की माँग की गई है ।

* चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को पत्र लिखकर माँग की गई है कि डीआरएम, झाँसी मण्डल द्वारा ग्वालियर में 24 कोच की वाशिंग पिट के निर्माण हेतु मांगी गई धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत किया जाए, ताकि ग्वालियर स्टेशन पर 24 कोच की नवीन वाशिंग पिट का निर्माण हो सके और आगरा फोर्ट-अहमदाबाद एक्सप्रेस (12547/12548) ट्रेन का संचालन ग्वालियर स्टेशन से प्रारम्भ हो सके ।

* प्रबंध संचालक, म. प्र. पॉवर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर, प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., भोपाल एवं मुख्य महाप्रबंधक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. सहित महाप्रबंधक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित कर, शहर में घटिया किस्म के स्प्रिंग लोडेड बॉक्सों में आगजनी की घटना के पश्चात् विद्युत वितरण कं. के कर्मचारियों द्वारा जले हुए स्प्रिंग लोडेड बॉक्स को बदलने के स्थान पर उस पोल से सीधे तार जोड़े जाने पर घोर आपत्ति करते हुए माँग की गई है कि शहर की घनी आबादी में लगे हुए घटिया किस्म के स्प्रिंग लोडेड बॉक्सों को तत्काल बदला जाए और इनके स्थान पर उच्च गुणवत्ता के नवीन स्प्रिंग लोडेड बॉक्स लगाए जाए । साथ ही, पोल पर बगैर स्प्रिंग लोडेड बॉक्स के सीधे तार नहीं जोड़े जाने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाए, जिससे शहर में होने वाली किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके । लोहे के पोल होने के कारण से सीधे तार जोड़े जाने से कभी-भी गंभीर हादसा होने की प्रबल संभावनाएँ बनी रहती हैं ।

* मुख्य इंजीनियर, नॉर्थ जोन (एन/जेड) पी.डब्ल्यू.डी. (संभागीय प्रबंधक, ग्वालियर-1, एमपीआरडीसी) को पत्र प्रेषित कर, ए. बी. रोड, मोतीझील पर स्थित रेलवे लाइन पर सड़क व पटरी का लेवल एक समान किए जाने सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत रायरू-मोतीझील-बहोड़ापुर-गोल पहाड़िया-बेला की बावड़ी तक के मार्ग को 4-लेन किए जाने की माँग की गई है । साथ ही, जौरासी हनुमान जी मंदिर मार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से अलग होता है, वहाँ पर मार्ग में उचित प्रकार से ढलान नहीं बनाए जाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु ठीक प्रकार से ढलान बनाए जाने तथा उक्त जर्जर मार्ग पर प्राथमिकता से डामरीकरण कराए जाने की माँग भी की गई है ।

* क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, भोपाल को पत्र लिखकर माँग की गई है कि ग्वालियर में 2 अप्रैल से प्रारम्भ हुए पासपोर्ट सेवा केन्द्र में कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए । साथ ही, पासपोर्ट हेतु आवेदनकताओं का पुलिस वेरिफिकेशन एक निश्चित समय-सीमा में किए जाने की माँग पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र लिखकर की गई है ।

* म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. के प्रबंध संचालक-श्री एम. सेलवेन्द्रन के ग्वालियर पधारने पर शहर में विद्युत वितरण कं. से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर एक विस्तृत ज्ञापन भेंट कर, चर्चा की गई । ज्ञापन के बिन्दु निम्नानुसार हैं । =घटिया किस्म के स्प्रिंग लोडेड बॉक्सों को बदला जाए । =जले हुए स्प्रिंग लोडेड बॉक्सों को बदले बिना सीधे पोल से तार नहीं जोड़े जाए । =शहर के प्रमुख बाजारों में बार-बार लाइट जाने के समस्या का समाधान किया जाए । =कॉल सेंटर पर रात्रि के समय में शिकायत हेतु फोन रिसीव नहीं होने की समस्या को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र के सभी जोन पर पूर्व की भांति कॉल सेंटर संचालित किए जाएँ । = लक्ष्य पूर्ति के लिए अनावश्यक बिलिंग न की जाएँ । = सभी जोन पर उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने हेतु रजिस्टर रखे जाएँ । = 'चेम्बर भवन' में पूर्व की भांति विद्युत समस्या समाधान शिविर प्रतिमाह आयोजित किया जाए । =विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों में आंकलित खपत नहीं लगाई जाए । =विद्युत बिलों पर नीचे की ओर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का स्थान परिवर्तित किया जाए ।

* राजस्थान की मुख्यमंत्री, श्रीमंत वसुंधराराजे सिंधिया जी को पत्र प्रेषित कर, माँ कैलादेवी, करौली के दरबार से कुछ दूरी पर ही स्थापित कालीसिल नदी पर ग्वालियर के भक्तगणों द्वारा निर्माण कराए गए 'श्रीचरण घाट' के आसपास पानी की उचित व्यवस्था हेतु एक बोरिंग तथा प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाईट की समुचित व्यवस्था कराने की माँग की गई है ।

* प्रमुख सचिव, राजस्व–श्री अरुण कुमार पाण्डेय को पत्र प्रेषित कर, नवीन लोहिया मण्डी की स्थापना हेतु शीघ्रातिशीघ्र अविवादित 16 बीघा भूमि आवंटित किए जाने की माँग की गई है, जिससे नवीन लोहा मण्डी की स्थापना का कार्य आगे बढ़ सके । साथ ही, कृषक की 14 बीघा भूमि का भी शासन द्वारा अधिग्रहण कर, किसान को उसके बदले में अन्य किसी स्थान पर भूमि आवंटित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि ग्वालियर में लोहा मण्डी की स्थापना का कार्य मूर्तरूप ले सके ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री–श्री भूपेन्द्र सिंह एवं डीजीपी को पत्र प्रेषित कर, प्रदेश सहित ग्वालियर अंचल में आए दिन व्यवसाईयों के साथ लूट, चोरी, हत्या, मारपीट की घटनाओं में हुई एकाएक वृद्धि पर आक्रोश व्यक्त करते हुए माँग की है कि अंचल में कानून–व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाए । साथ ही, अंचल में लूट, चोरी, हत्या व मारपीट के दोषी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया जाए, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही संभव हो और भविष्य में पुनः कोई भी अपराधी किसी व्यवसाई के साथ आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दे सके ।

* मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. एस. एस. जादौन को पत्र लिखकर माँग की गई है कि शहर के व्यवसाईयों के फूड लायसेंस बनाए जाने हेतु एक शिविर का आयोजन 'चेम्बर भवन' में किया जाए तथा ऐसे व्यवसाई, जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किए गए हैं, परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उन्हें अभी तक फूड सेफ्टी लायसेन्स की प्राप्ति नहीं हुई है और न ही ऑनलाईन सिस्टम पर उनके लायसेंस दिखाई दे रहे हैं, उन्हें फूड लायसेंस मुहैया कराए जाएं ।

* केन्द्रीय वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली को पत्र के माध्यम से जीएसटी की दरों पर आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित करते हुए, माँग की गई कि =जीएसटी में व्यापार के लिए टर्नओवर की सीमा 50 लाख तथा उद्योगों के लिए 1 करोड़ रुपये की जाए । =31 मार्च,18 तक का समयरखा जाए ट्रायल पीरियड । =जो आयटम एक्साइजएबल हैं, उन पर उसका क्रेडिट मिलना चाहिए या स्टॉक जीएसटी से मुक्त होना चाहिए । =50 हजार तक के बिलों को कम्प्यूटर के स्थान पर मैन्युअल बनाने की छूट दी जाना चाहिए । =कपड़ा, शक्कर जैसी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखा जाए । =पेट्रोल–डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए । =कम्प्यूटर से जुड़े सभी आयटमों पर एक समान दर रखी जाए । =कार, बस, ट्रक के टायर–ट्यूब पर जीएसटी 18% रखा जाए । =सायकल, सिलाई मशीन, टाईल्स, मार्बल पर जीएसटी दर 5% रखी जाए । जीएसटी रिटर्न की सीमा एक माह के स्थान पर तीन माह की जाए ।

* प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, जल संसाधन मंत्री–डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री–श्रीमती माया सिंह को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर शहर सहित अंचल की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए चम्बल से पानी लाए जाने की योजना बनाए जाने की माँग की गई है ।

* केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री, श्री मनोज सिन्हा एवं केन्द्रीय मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, आगरा फोर्ट–अहमदाबाद एक्सप्रेस का संचालन यथाशीघ्र ग्वालियर से किए जाने की पुनः माँग की गई है ।

* मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केन्द्रीय मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर में खाद कारखाने की स्थापना किए जाने की पुनः माँग की गई है ।

* अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, एयर इंडिया लि. को पत्र प्रेषित कर, मुम्बई–इन्दौर–ग्वालियर–नई दिल्ली एवं नई दिल्ली–ग्वालियर–इंदौर–मुम्बई उड़ान का समय परिवर्तित कर सुबह एवं शाम को 6.00 से 8.00 बजे के मध्य का समय निर्धारित किए जाने की माँग की गई है ।